उत्तराखण्ड मानव अधिकार आयोग
प्लॉट सं0 ए–8, आई0टी0 पार्क, सहस्त्रधारारोड़, देहरादून
Email ID uttarakhand-hrc@uk.gov.in Website www.ukhrc.org
संख्याः 37 /उ0मा0अ0आ0/2024
देहरादून : दिनांक : 05 जनवरी, 2024

विज्ञप्ति

मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 (अधिनियम संख्या–10 सन्–1994) की धारा 21 द्वारा उत्तराखण्ड मानव अधिकार आयेाग का गठन 2011 में हुआ। तद्पोरान्त शासन द्वारा आयोग के संरचनात्मक ढांचा शासनादेश संख्या–45/उ0मा0अ0आ0/बीस–4/2014–4 (33) 2013, दिनांक 28.01.2014 के द्वारा सृजित 01 निजी सचिव, 01 प्रशासनिक अधिकारी, 01 लेखाकार, 01 प्रधान सहायक एवं 02 वरिष्ठ सहायक के पद हेतु राज्य सरकार के विभिन्न कार्यालयों/प्रतिष्ठानों/आयोगों से नियमित कार्मिकों से निम्न प्रारूप अनुसार सेवा स्थानान्तरण/प्रतिनियुक्ति हेतु निम्नानुसार आवेदन–पत्र आमन्त्रित किये जाते है:–

क्र0 सं0	पदनाम	पदों की संख्या	वेतनमान/वेतनलेवल	अर्हता
1.	निजी सचिव	01	रू0 56100–177500 लेवल–10	वर्तमान में सुसंगत संवर्ग के वेतन लेवल–10 के पद पर कार्य कर रहे हों जिसे आशुलिपि का अच्छा ज्ञान हो।
2.	प्रशासनिक अधिकारी	01	रू0 44900–142400 लेवल–07	वर्तमान में सुसंगत संवर्ग के वेतन लेवल– 07 के पद पर कार्य कर रहे हों। इस पद हेतु सेवानिवृत्त कर्मी भी आवेदन कर सकते हैं, जिनकी उम्र 63 वर्ष से अधिक न हो। सेवा निवृत्त कर्मी की नियुक्ति प्रथमतः 01 बर्ष के लिए होगी जिसे सक्षम अधिकारी द्वारा बढाया जा सकता है।
3.	प्रधान सहायक	01	रू0 35400–112400 लेवल–06	वर्तमान में सुसंगत संवर्ग के वेतन लेवल–06 के पद पर नियमित रूप से कार्य कर रहे हों एवं कम्प्यूटर पर हिन्दी टंकण का अच्छा ज्ञान हो।
4.	लेखाकार	01	रू0 35400–112400 लेवल–06	वर्तमान में सुसंगत संवर्ग के वेतन लेवल–06 के पद पर नियमित रूप से कार्य कर रहें हों एवं लेखा सम्बन्धी कार्यों का अनुभव हों तथा हिन्दी टंकण का अच्छा ज्ञान हो।
5.	वरिष्ठ सहायक	02	रू0 29200–92300 लेवल–05	वर्तमान में सुसंगत संवर्ग के वेतन लेवल–05 के पद पर नियमित रूप से कार्य कर रहे हों एवं कम्प्यूटर पर हिन्दी टंकण का अच्छा ज्ञान हो।
	कुल योग	06		

क्रमशः 2/

1. उपरोक्तानुसार ऐसे नियमित कार्मिक जो प्रभावी नियमों के अधीन प्रतिनियुक्ति पर कार्य करने के इच्छुक हों, अपना सुस्पष्ट आवेदन–पत्र विभागीय अनापत्ति प्रमाण–पत्र सहित उचित माध्यम द्वारा अग्रसारित करें। आवेदन पत्र अग्रिम प्रेषित किया जा सकता है, परन्तु साक्षात्कार में सम्मिलित होने पर विभागीय अनापत्ति प्रमाण–पत्र अनिवार्य होगा।

2 इसका उल्लेख प्रारूप में करें की आपके खिलाफ कोई विभागीय कार्यवाही प्रचलित है?

3. उक्त पदों पर नियुक्ति 03 वर्ष के लिए होगी, जिसे सक्षम अधिकारी द्वारा नियमानुसार आगे भी बढाया जा सकता है।

4. उक्त पदों पर आवेदन करने की अन्तिम तिथि तक आवेदक की न्यूनतम 04 वर्ष की सेवा शेष होनी चाहिए। जिन सेवानिवृत्त कर्मियों द्वारा प्रशासनिक अधिकारी के पद के लिए आवेदन किया जायेगा उन पर यह शर्त लागू नहीं होगी।

5. आवेदन–पत्र निर्धारित प्रारूप पर प्रत्येक दशा में सचिव, उत्तराखण्ड मानव अधिकारआयोग को उक्त पते पर केवल पंजीकृत डाक, स्पीड पोस्ट अथवा स्वंय भी **दिनांकः 31.01.2024 को समय सांय 05:00 बजे तक** आयोग कार्यालय में जमा कर सकते हैं। आवेदन–पत्र का प्रारूप आयोग की वेबसाईट पर www.ukhrc.org पर डाउनलोड कर सकते हैं। लिफाफे के ऊपर जिस पद हेतु आवेदन किया जा रहा है, उस पद के नाम का अंकन किया जाये। निर्धारित तिथि के उपरान्त प्राप्त होने वाले आवेदन पत्रों पर कोई विचार नहीं किया जायेगा।

6. अधिक संख्या में आवेदन–पत्र प्राप्त होने पर आयोग को यह अधिकार होगा कि वह सभी आवेदन–पत्रों की छंटनी करने के उपरान्त सीमित अभ्यर्थियों को साक्षात्कार हेतु बुलाया जायेगा।

7. उपरोक्त पदों पर नियुक्ति का अन्तिम निर्णय का अधिकार अध्यक्ष, उत्तराखण्ड मानव अधिकार, देहरादून का रहेगा, जो अन्तिम व सर्वमान्य होगा। कार्य सन्तोषजनक न होने की दशा में उक्त प्रतिनियुक्ति को बिना पूर्व सूचना के कभी भी समाप्त किया जा सकता है।

सचिव,
उत्तराखण्ड मानव अधिकार आयेाग।

हरि चन्द्र सेमवाल
सचिव
उत्तराखण्ड मानवाधिकार आयोग

प्रतिनियुक्ति/सेवा स्थानान्तरण हेतु आवेदन-पत्र का प्रारूप

स्वप्रमाणित पासपोर्ट साईज रंगीन नवीनतम फोटो

1. आवेदित पद का नाम :
2. आवेदक का नाम :
3. माता का नाम :
4. पिता/पति का नाम :
5. जन्मतिथि :
6. कर्मचारी कोड :
7. दूरभाष/मोबाईल नम्बर :
8. स्थायी पता :
9. पत्र व्यवहार का पता:
10. कार्यालय का पता :
11. विभाग का नाम :
12. प्रथम नियुक्ति की तिथि :
13. वर्तमान धारित पदनाम एवं तैनाती तिथि :
14. वर्तमान वेतन बैण्ड एवं वेतन लेवल (नवीनतम वेतन स्लिप) संलग्न किया जाय:
15. कुल सेवा अवधि.........................बर्ष ....माह.................दिन
16. वर्तमान पद पर कुल सेवा अवधि.............बर्ष ....माह..................दिन
17. शैक्षिक योग्यता :
18. संलग्नक अभिलेख/दस्तावेज :-
    1. विभागीय अनापत्ति प्रमाण-पत्र।
    2. विभाग द्वारा जारी संतोषजनक सेवा का प्रमाण-पत्र।
    3. विभाग द्वारा कोई भी जाँच संकल्पित/गतिमान न होने का प्रमाण-पत्र।

घोषणा-पत्र

मैं श्री/श्रीमती/कुमारी...पुत्र/पति/पुत्री..............................घोषणा करता/करती हूँ, कि उपरोक्तानुसार उपलब्ध करायी गयी समसत सूचनाएं सही एवं सत्य है एवं मेरे द्वारा कोई तथ्य छिपाया नहीं गया है। यदि मेरे द्वारा प्रेषित सूचना में कोई भी तथ्य गलत पाया जाता है तो मेरा आवेदन निरस्त कर दिया जाय, जिस हेतु मैं कोई वाद दायर नहीं करूंगा/करूंगी। उत्तराखण्ड मानव अधिकार आयोग का निर्णय अन्तिम एवं मुझे मान्य होगा।

दिनांक :

स्थान :

हस्ताक्षर :

आवेदक का नाम :

पदनाम :